न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 34/2021 विजय सिंह वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

02-6-25

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम गुड़ा बिश्नोईयान तहसील लूणी के खसरा नम्बर 135/1 रकबा 49 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा नंबर 150/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की पैतृक, कब्जाकाश्त एवं सहखातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि का आज दिनांक विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं होने से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से आपसी सहमति से विभाजन–बंटवाडा करवाने का आग्रह किया परन्तु अप्रार्थीगण सहमत नहीं हुए तथा स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जासुदा कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध निर्माण एवं मौका स्थिति को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी जाकर दिनांक 28.06.2021 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतु भेजे जाकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा नोटिस तामिलसुदा प्राप्त, जो शामिल पत्रावली किए। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में अपना जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया।

पत्रालवी का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा पर्याप्त समय देने के उपरांत भी बहस नहीं की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई। पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त वर्णित विवादग्रस्त कृषि भूमि में सहखातेदार व कब्जाकाश्त है एवं अपने हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहता है जबकि अप्रार्थीगण बिना बंटवाड़ा करवाये निर्माण पर आमदा है। चुंकि प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में आदिनांक तक न तो अपना जवाब दिया गया न ही बहस की गई। अतः प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सूनवाई की गई। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तक धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 21.08.2025 को ताफैसला मूल वाद के निस्तारण पुखता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09-6-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पुखराज कासोटिया आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी